8 जून, 2021 को होने वाले आम चुनावों में मतदान करने के लिए आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए?

आप 8 जून, यानी चुनाव वाले दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते/सकती हैं। विकल्प लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। पोलिंग स्थान पेज पर सूचीबद्ध अपने पोलिंग स्टेशन के लिए Vote.NJ.Gov पर जाएं।

डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है?

पंजीकृत मतदाता डाक द्वारा मतदान के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

1. डाक: इसके ऊपर 8 जून शाम 8:00 बजे तक या उससे पहले डाक टिकट लगाने और 14 जून तक या उससे पहले आपकी काउंटी के चुनाव बोर्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. तालिका: इसके ऊपर 8 जून शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के तालिका कार्यालय में से किसी एक में डाल दें। Vote.NJ.Gov पर मतदान पेटी के स्थान की जानकारी लें।
3. एक डाक: अपने निर्देशन 8 जून शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के चुनाव बोर्ड को व्यक्तिगत तरीके से प्राप्त करें।

ध्यान दें: आपका डाक द्वारा मतदान इस चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन को वापस नहीं लौटाया जा सकता है।

मतदान के लिए पंजीकरण कैसे किया जाए?

आप 8 जून, 2021 को होने वाले स्थानीय चुनावों में मतदान करने के लिए आपको 18 मई तक पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन मतदान पंजीकरण के लिए आपकी मतदाता विभाग स्थिति जांचने के लिए Vote.NJ.Gov पर जाएं।

मुझे अतिरिक्त जानकारी या सहायता कहां से प्राप्त हो सकती है?

अधिक जानकारी और अंतिम उत्तर की प्राप्ति के लिए, Vote.NJ.Gov पर जाएं, अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें, या पर मतदान सूचना और सहायता लाइन 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) को कोल करें।

गवर्नर Phil Murphy
राज्य सचिव Takesha Way

Vote.NJ.Gov
1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)